उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार–249404

संख्याः 55/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा–2/2021–22 दिनांक : 29 अप्रैल, 2024

अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन–2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर घोषित संशोधित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 04 मार्च, 2024 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 18 मार्च, 2024 तक अभिलेख प्राप्त किये गये थे, जिसके क्रम में **असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल (Geography)** विषय के अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे के सापेक्ष संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण तालिका कॉलम–03 के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया हैः–

SNO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
1.	505616	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत NCC B एवं राष्ट्रीय सेमिनार का दावा किया गया है। जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा NCC B का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु राष्ट्रीय सेमिनार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तद्क्रम में अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत NCC B के प्रमाण पत्र के आधार पर अधिमानी अर्हता का दावा मान्य है।

अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी अर्हता के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार–249404 के कार्यालय को **दिनांक 13 मई, 2024 के सांय 06:00 बजे (सोमवार) तक** व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।